

रांक /

/आयु०कर उत्तरा०/वाणिज्य०/विधि-अनुभाग/पत्रा०/15-16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)

दिनांकः देहरादून :: 12 अक्टूबर, 2015

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्र०), वाणिज्य कर,
देहरादून/त्रिपुरा/हरिद्वार/रुडकी
काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा

उत्तराखण्ड शासन वित् अनुभाग-८ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 897/2015/2(120)XXVII(8)/2012 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (4) सप्तित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें तथा बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

3625

पु०प०सं० / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1—सचिव, वित् उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2—महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3—अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4—एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर जोन।
- 5—एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6—ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 7—श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 8—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुडकी को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2015/2(120)/XXVII(8)/2012
देहरादूनः दिनांकः ०८ अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची-I के क्रमांक 55 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी,
अर्थात्—

क्र0सं0	माल का विवरण	कर की दर
55	(i) स्लेट (जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं है), स्लेट फेन्सिल। (ii) सागौन(टीक), देवदार, साल, शीशम, कैल अथवा सैन के अन्यथा सभी प्रकार/प्रजाति की इमारती लकड़ी अथवा काष्ठ से बने स्केल व डस्टर बशर्ते कि ऐसे व्यौहारियों की इन वस्तुओं की बिक्री एक वित्तीय वर्ष में पचास लाख से अधिक की न हो।	कर मुक्त

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0४९८/2015/2(120)/XXVII(8)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एन0आई0सी0
- 6—गार्ड फाईल हेतु।

३०८

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करे

अपर आयुक्त कर

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2015/2(120)/XXVII(8)/2012
देहरादूनः दिनांकः ०४ अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम 2005) सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची-I के क्रमांक 55 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्—

क्र0सं0	माल का विवरण	कर की दर
55	(i) स्लेट (जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं है), स्लेट पेन्सिल। (ii) सागौन(टीक), देवदार, साल, शीशम, कैल अथवा सैन के अन्यथा सभी प्रकार/प्रजाति की इमारती लकड़ी अथवा काष्ठ से बने स्केल व डस्टर बशर्ते कि ऐसे व्यौहारियों की इन वस्तुओं की बिक्री एक वित्तीय वर्ष में पचास लाख से अधिक की न हो।	कर मुक्त

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0४९८/2015/2(120)/XXVII(8)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एन0आई0सी0
- 6—गार्ड फाईल हेतु।

अनुभाग
आवश्यक कार्यमुक्ति करने
के लिए

7320
9/10/15

अपर शासन

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 897/ 2015/ 2(120)/ XXVII(8)/ 2012 dated 08 October, 2015 for general information

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No 897/2015/ 2(120)/XXVII(8)/2012

Dehradun :: Dated :: 08 October, 2015

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is please to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Ammendment

In Schedule I, for the existing entry at serial no. 55, the following entry shall be substituted; namely -

Sl. No.	Description of goods	Rate of tax
55	(i) Slate (excluding writing boards), slate pencils. (ii) Scale and duster made of timber or wood of kinds/species other than Teak, Devdar, Saal, Sheesham, Kail or Sain subject to the condition that sale of these goods of such dealers is not more than Rs 50 lakh in a financial year.	Exempt


(Amit Singh Negi)
Secretary.

